

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 510]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 5 नवम्बर 2014—कार्तिक 14, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2014

क्र. 96 एफ 1-11-2013-अठारह-3.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 83, दिनांक 16 अक्टूबर 2014 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 16 अक्टूबर 2014 को अधिसूचित की गई है, को निरस्त करते हुए मध्यप्रदेश नगर पालिक (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् बरही, जिला कटनी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	03 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 04 चंद्रशेखर आजाद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	02 महाराणा प्रताप वार्ड 09 महात्मा गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	05 डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड 07 शहीद भगत सिंह वार्ड 10 मौलाना आजाद वार्ड 14 शिवाजी वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	01	03 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आरक्षित वार्ड	01	02 महाराणा प्रताप वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के आरक्षित वार्ड	02	10 मौलाना आजाद वार्ड 14 शिवाजी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक) (4) (5) व (6) के अलावा आरक्षित कुल वार्ड.	04	13 विजयनाथ वार्ड 08 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 06 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 15 राजीव गांधी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.